**आदेश पत्रक**

**न्यायालय : उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :अलीगढ़,जनपद :अलीगढ़,तहसील :खैर**
**वाद संख्या :-4222/2021**
**कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202118020104222**
**अनिल कुमार बनाम उ0प्र0सरकार**
**अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

---

गया है,तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत टप्पल द्वारा पत्रांक मीमो दिनांक 15—06—2021 उक्त आराजी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया हैं ,जो पत्रावलित है।

अतः तहसीलदार खैर की जॉच आख्या दिनांक 21—06—2021 से सहमत होते हुये अनिल कुमार पुत्र करन सिह निवासी टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ द्वारा मौजा—टप्पल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ खाता सं0 91 गाटा सं0 4623मि0 रकवा 0.772 है0, लगानी 12.40 पैसा भूमि को धारा 80(2) के अर्न्तगत लगान मुक्त करते हुये उ0प्र0रा0संहिता—2006 की धारा 80(2) के अर्न्तगत अकृषिक भूमि इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा मात्र भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु है। इसका प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन एंव वाद मे कानूनी साक्ष्य इत्यादि के लिये अनुमन्य नही होगा। उक्त भूमि पर यदि आवेदक 05 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बंधी गतिविधी प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उ0प्र0रा0सं0 की धारा 80 की उपधारा 2 के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यवगत हो जायेगा। इसके साथ ही यदि भविष्य में यदि किसी सरकारी योजना के तहत उक्त भूमि का अधिग्रहण होता है तो यह आदेश निष्प्रभावी माना जायेगा। तहसीलदार खैर की जॉच आख्या दिनांक 21—06—2021 व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत टप्पल का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15—06—2021 इस आदेश का अंग रहेगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार खैर/उपनिबन्धक खैर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दा0द0 हो।

दिनांक—01—07—2021

01/07/21
(अंजनी कुमार सिह)
उपजिलाधिकारी
खैर।

Scanned with CamScanner